संख्या– 544 /वि0अनु0–1/2004

प्रेषक,

के0सी0मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
सम्बन्धित नगर पंचायत, उत्तरांचल
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून :: दिनांक : 17 जुलाई, 2004

विषयः–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में नगरपंचायतों को से धनराशि का संक्रमण (द्वितीय तिमाही हेतु)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 31 नगरपंचायतों को सलंग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु रू0 12834000.00 (रू0 एक करोड़ अठ्ठाईस लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(1) नगर पंचायतों को कुल देय वार्षिक धनराशि से 30 प्रतिशत अंश रोका गया है जो प्रतिवेदन के प्रस्तर 21.5 के अन्तर्गत प्रस्तर 22.5 व 22.6 के अनुसार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर अवमुक्त किया जायेगा। शेष 70 प्रतिशत अंश को 4 समान तिमाही किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा। तद्नुसार द्वितीय किश्त अवमुक्त की जा रही हैं।

(2) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए संक्रमित की गई है। इस धनराशि से व्यावर्तन / समायोजन अनुमन्य नही होगा।

(3) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ठ शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी /वित्त नियंत्रक /मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी

स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक —3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन— आयोजनेत्तर—01—नगरीय स्थानीय निकाय—193—नगरपंचायतें/ नोटीफाइट एरिया/ कमेटी आदि—03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन—00 —20—सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव (वित्त)।

संख्या— 544 (1)/वि0अनु0—1/2004 तद्दिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल , इलाहाबाद।
2— सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल ।
3— निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, निदेशालय, देहरादून।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5— निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, देहरादून।
6— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
7— विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
8— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9— एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव (वित्त)।

C:\rawat\g o fourth installment sfc nagar panchayat.doc node-1

,शासनादेश संख्याः-544/ वि0 अनु0-1/2004 दिनांकः-17 जुलाई,2004 का संलग्नक

(धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	प्रस्तावित आवंटन की धनराशि
1	2	3
1-	बड़कोट	400
2-	गंगोत्री	40
3-	बद्रीनाथ	55
4-	केदारनाथ	31
5-	नन्दप्रयाग	328
6-	कर्णप्रयाग	458
7-	रूदप्रयाग	656
8-	गोचर	479
9-	मुनिकीरेती	431
10-	क्रीतिनगर	328
11-	देवप्रयाग	328
12-	चम्बा	431
13-	डोईवाला	440
14-	हरबर्टपुर	505
15-	कालाढुंगी	335
16-	भीमताल	321
17-	लालकुआँ	357
18-	दिनेशपुर	484
19-	सुल्तानपुर	422
20-	केलाखेड़ा	425
21-	शक्तीगढ़	261
22-	महुआडाबरा	334
23-	महुआखेड़ागंज	484
24-	द्वाराहाट	328
25-	डीडीहाट	329
26-	धारचूला	421
27-	चम्पावत	656
28-	लोहाघाट	381
29-	झबरेड़ा	513
30-	लण्डोरा	876
31-	लक्सर	997
	योगः-	12834

(रू0 एक करोड़ अठ्ठाईस लाख चौतीस हजार मात्र)

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त।
उत्तरांचल शासन।

NP